महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प.2(4)मुख्यालय / 15 / 2024-25 / 15 127-31

दिनांकः 21.06.2024

खुली बोली आमंत्रण सूचना

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर में वित्तीय वर्ष 2024—25 में भौतिक पत्राविलयों को ई—फाईल में कंवर्ट करने के लिए पृष्ठों को स्केन करने के कार्य हेतु बोली आमंत्रित की जाती है। इस कार्य हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्म/बोलीदाता अपनी दरें निर्धारित बोली प्रपत्र में भरकर दिनांक 28/06/2024 को दोपहर 01.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त बोली दिनांक 28/06/2024 को अपराह 2.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। बोली का अनुमानित मूल्य राशि रूपये 5.00 लाख है। बोली की शर्त एवं कार्य से संबंधित अन्य शर्त इस कार्यालय में कार्यालय समय में आकर देखी जा सकती है। बोली दस्तावेज कारागार विभाग की वेबसाइट "www.home.rajasthan.gov.in" एवं state public procurement portal (sppp) पर भी उपलब्ध है। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (2:)	.बोली प्रपत्र शुल्क
1.	Scanning work for Digitalization & E-filing of Office record (पत्रावलियों के अनुमानित पृष्टो की संख्या 06 लाख)	5.00	10,000 / —	500 / -

UBN No .:

महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प.2(4)मुख्यालय / 15 / 2024—25 / 15 / 27 — 3 / प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

दिनांकः 21 / ठ८/ 2024

1. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।

2. उपापन समिति, अध्यक्ष / सदस्य......

4. नोटिस बोर्ड मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर पर चस्पा हेतु।

5. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43(6) के अनुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 7 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन कराने का श्रम करावें।

6. प्रभारी कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को निविदा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेत्

7. रक्षक पत्रावली।

महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref 7690052



Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

Technical Bid Form

1	Name of Bidder	te les les les les les les les les les le	
2	Address of Bidder With Mobile/Tel.No/Email		
3	Bid fee Bid document fee	Enclosed-DD/BC No For Rs. 500.00	
	Bid Security Amount	Enclosed-DD/BC No Date	
4	Registration Certificate if applicable	Enclosed on Page No.	
5	Legal Entity Document (any one)	Enclosed on Page	
6	Financial Turnover Certificate	Enclosed on Page	
7	Technical Capability Experience	Enclosed on Page No	
8	i. GST Registration ii. Pan No. (Self-Attested Copy)	Enclosed on Page No. Enclosed on Page	
	1889	No	
9	Technical Specifications	Compliance sheet for all items only on letter-head	
10	Undertaking-	Self -declaration Page No	

परिशिष्ट "अ"(ii) के अनुसार पूर्ति करे।

Seal & Signature of Bidder

RajKaj Ref 7690052

Signature yalid
Digitally signed by Vikram Singh
Karnawat Designation Inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

परिशिष्ट "अ"(ii)

Eligibility/ Technical Qualification Criteria

(a) A bidder (Service provider, authorized agencies are eligible to participate in the bidding process) participating in the procurement process shall possess the following minimum

qualification/ eligibility criteria.				
S.No	Basic	Detail	Documents	
	requirement		required	
1	Legal Entity	Bidder should be:-	Copy of valid Certificates	
		1. A proprietorship firm duly registered either under		
		the rajasthan Shops & Commerical Estabishments act,		
		1958 or any other act of state/ Union, as applicable		
	,	for dealing in the subject, matter of procurement		
-		OR		
		2. A company registered under Indian Companies Act,1956		
		OR		
		3.A partnership firm registered under Indian		
		Partnership Act, 1932	1	
		OR	31	
*		4.A Firm/Company registered under the L.L.P Act	. 1	
	5	2008		
2	Financial	Bidder should have a minimum average annual	Attach Copies	
	Turnover	turnover of Rs 5.00 lac for the last three finanical	for relevent	
		years as per audited balance sheets, i.e., for the	document	
dai.		period of FY 2021-22 to 2023-24		
3.	Technical	The bidder must have successfully completed similar	Copy of work	
	Capability &	type assignments valuing Rs 5.00 lacs during the last	order	
	Experience	three years from FY 2021-22 to FY 2023-24		
4.	Tax	The bidder should have a registered number	Copies of	
west a	registration	i. GST Registration where his business is located	relevent	
		ii. PAN No	certificates of	
			registration	
			number	
5.	Bid Security	Bid Security Fee: Amount (INR)	D.D./B.C. No.	
	Deposit	INR for General,	Bank: Date	
		INR for S.S.I. (should be located in	Certificate of	
		rajasthan and registered in Department of Industries,	Registration if	
		GoR) of Rajasthan, INR for Sick	applicable	
		Industries. Other than S.S.I., whose cases are pending		
	**	with Board of Industrial & Financial Reconstruction		
		(as per rule)		

RajKaj Ref 7690052 Signature valid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

परिशिष्ट "ब"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

भौतिक पत्राविलयों को ई—फाईल में कंवर्ट करने के लिए पृष्टों को स्केन करने के कार्य हेतु_ वित्तीय बोली प्रपत्र

1. 2.	फर्म / ठेकेदार / बोलीदाता का नामः स्थाई पताः			
3.	दूरभाष	दूरभाष / मोबाइल / ई—मेलः		
	क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तुत दरें (अंको में)	प्रस्तुत दरें
			जी.एस.टी.सहित	(शब्दों में)
a .	1.	Scanning of Pages (Size Legal) (100 DPI TO 600 DPI) as per requirement of document		
	2.	Scanning of Pages (Size A4) (100 DPI TO 600 DPI) as per requirement of document		
	3.	Scanning of Pages (Size A3) (100 DPI TO 600 DPI) as per requirement of		

मैंने / हमने बोली शर्तों को पढ़ लिया है। बोली शर्तों एवं उपरोक्त दरों पर विभाग में स्केन मशीन मय ऑपरेटर / कार्मिक लगाने की सहमति दी जाती है।

हस्ताक्षर

फर्म के प्रतिनिधि का नाम व पता

RajKaj Ref 7690052 Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation inspector General Date: 2024.06.21, 4:00:40 IST Reason: Approved

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

बोली की मुख्य शर्ते

- 1. वित्तीय बोली प्रपत्र में निर्धारित कॉलम में दरें अंकित करनी होगी।
- 2. बोलीदाता फर्म को महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थान व विद्युत उपलब्ध करायी जावेगी। फर्म द्वारा स्वयं की मशीन संबंधित शाखा के कमरों में लगाकर स्केनिंग का कार्य करना होगा। स्केन की गई पत्रावली की पहचान हेतु पत्रावली का क्रमांक व पृष्ठ संख्या डालकर Save करनी होगी। फर्म को कम से कम 2 मशीने लगानी होगी।
- 3. बोलीदाता फर्म को विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों से निर्धारित मांग पत्र के अनुसार स्केनिंग कार्य करना होगा तथा मांग पत्रों को एकत्र कर बिल के साथ तिथिवार विवरण के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी। मांग पत्र का प्रारूप विभाग द्वारा फर्म को उपलब्ध कराये जायेगें। मांग पत्र प्राप्त होने पर स्केनिंग कार्य किया जावेगा।

4. कार्यालय द्वारा रूपये 05.00 लाख तक का कार्य कराने का अनुमान है। जिसमें आवश्यकतानुसार कमी / वृद्धि संभव है।

5. बोलीदाता फर्म को स्थान उपलब्ध करा दिया जावेगा। किन्तु मशीन की चोरी एवं मशीन के नुकसान हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

6. विभाग का रिकॉर्ड गोपनीय होने के कारण किसी भी हालत में कार्यालय परिसर से बाहर रिकार्ड ले जाने की अनुमित नहीं होगी।

7. सही प्रकार से स्केनिंग कार्य होने पर संबंधित प्रभारी अधिकारी के सत्यापन उपरान्त एवं बजट उपलब्धता पर ही उनका भुगतान किया जावेगा।

- 8. बोलीदाता फर्म को चार माह में कार्य पूर्ण करना होगा। जिसे विशेष परिस्थितियों में विभाग द्वारा बढाया जा सकता है। कार्य संतोषजनक नहीं होने की दशा में अनुबंध कभी भी निरस्त कर दिया जावेगा।
- 9. फर्म को मासिक रूप से बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। बिल के साथ विभाग द्वारा कराई गई स्केनिंग कार्य का मांग पत्र तिथिवार लगाना होगा। स्केनिंग के पृष्ठों के संदर्भ में स्केन किये पृष्ठों का विवरण दर्ज करने हेतु निर्देशानुसार एक रिजस्टर का संधारण करना होगा। जिसका सत्यापन संबंधित शाखा प्रभारी द्वारा किया जायेगा।
- 10. बोली प्रतिभूति राशि—राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी, जो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर के नाम डी.डी/बैकर्स चैक/नियमानुसार अन्य माध्यमो से दी जा सकेगी।

11. बोली के साथ बोली दस्तावेज के समस्त पत्रादि यथा परिशिष्ट ''अ(ा)(॥)'' ''ब'' ''स'' ''द'' व एनेक्चर ''A'' ''B'' ''C'' ''D'' आदि हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न प्रस्तुत करने होगें।

RajKaj Ref 7690052 Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation . Inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

- 12. सफल बोलीदाता फर्म को कार्य की अनुमानित कुल राशि के कार्य हेतु 500 रूपये के मूल्य के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं नियमानुसार कार्य निष्पादन प्रतिभृति राशि जमा करानी होगी।
- 13. शाखाओं से प्राप्त पत्रावितयों को स्केन के लिए खोली जाने के पश्चात पुनः बांधने की जिम्मेदारी फर्म की होगी। इस कार्य हेतु पर्याप्त Staff / Employee/ Manpower की व्यवस्था की जिम्मेदारी फर्म की होगी
- 14. अवकाश के दिवस पर विशेष कार्य होने पर निर्देश दिये जाने पर कार्यालय में उपस्थित होकर भी स्केन कार्य सम्पन्न करना होगा।
- . 15. उक्त निविदा का तकनीकी प्रपत्र तथा वित्तीय प्रपत्र अलग—अलग लिफाफे में बन्द कर दोनों के नामांकन किये जाकर एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर प्रस्तुत किया जावें।
 - 16. तकनीकी / वित्तीय निविदा प्राप्ति / खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होने पर अगले कार्य दिवस को उसी समय पर बोली प्राप्त / खोली जायेगी।
 - 17 तकनीकी निविदा में सफल फर्म की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
 - 18. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में / सन्दर्भ में किसी प्रकार का मुआवजा विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
 - 19. फर्म द्वारा स्केन करने के लिए नियुक्त किये गये कार्मिकों के फोटो पहचान पत्र, स्थायी पता व मोबाईल नम्बर कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
 - 20. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
 - 21.फर्म के प्रस्तुत बिल से नियमानुसार टी.डी.एस. तथा जीएसटी के तहत टीडीएस की कटौती की जायेगी।
 - 22.भ्रमित करने वाले दरें मान्य नहीं होगी।
 - 23. समस्त दरें निविदा में निर्धारित प्रपत्र में ही देनी होगी। अन्य किसी प्रपत्र में मान्य नहीं होगी।
- 24. उक्त सभी शर्तों के अतिरिक्त यथास्थान आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अनुसार लागू रहेगी।
- 25. बोली की शर्तों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 26. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref 7690052 Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation Inspector General Date: 2024.06.21 .4:00:40 IST Reason: Approved

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

<u>परिशिष्ट—"स"</u>

खुली प्रतियोगी बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्ते

1. **बोली भरने की प्रक्रिया**:— बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है ।

(i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य / सदस्यों को मक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

3. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) :—
कोई भी बोलीदाता जो जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

4. दरें :-

2.

(i) बोली में दरे शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्याकंन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रृटियों का सुधार करेगी :-

(क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यिद कोई विसंगित हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकंन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक

(Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में

अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय मय GST दर अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

RajKaj Ref 7690052

Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved (vii) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

5. <u>बातचीत (Negotiation) :</u>—

(i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी:—
(क)जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समृह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख)जब प्रस्तृत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सचना प्राप्त हो गई हो।

बोली की विधि मान्यता:

दरों की वैद्यता बिंड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

7. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए

नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

8. <u>माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat</u> Order)

- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अविध भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मुल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- 9. संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन :—सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

10. <u>बोली प्रतिभृति (Bid Security) परिपत्र :</u>

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु के प्राक्किलत मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन—॥ / उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति

RajKaj Ref 7690052 Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation Linspertor General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लद्यु उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत देय होगी।

(ii) बोली प्रतिभूति राशि ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर'' के नाम से निम्न रूप में दी जायेगी:—

(अ) नकद रसीद द्वारा या

(ब) नकद— शीर्ष ''8443'' सिविल निक्षेप— 103— प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत ई—ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है। या

(स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी ।

11. करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभृति (Agreement and Performance Security) :--

- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में माल के प्रदाय के लिए बोली में अंकित कुल अनुमानित राशि की रकम की 5 प्रतिशत अथवा नियमानुसार कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।
- (a) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:—

'क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

- (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट / लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
- (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी / गारंटियाँ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
- (ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमित की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।
- (च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

RajKaj Ref 7690052 Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation inspector General Date: 2024.06.21 .4:00:40 IST Reason: Approved

- (iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभृति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा।
 - (क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।
 - (ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।
- (iv) <u>कार्य निष्पादन प्रतिभृति राशि का समपहरण</u> (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):— सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः—
 - (क) जब संविदा की शर्ती का उल्लधंन किया गया हो।
 - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो
 - (ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य निष्पादन राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
- (v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी।
- (vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगे:--
 - (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 - (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - (स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।
 - (द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र
- (vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

12. बोली लगाने से विवर्जन:-

- (i) बोली लगाने वाला राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया जायेगा, यदि वह
 - (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या
 - (ख) भारतीय दण्ड़ संहिता 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के किसी अपराध के लिए दोष किया गया है।
 - उपर्युक्त के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं होगा।
- (ii) किसी बोली लगाने वाले ने आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया गया है तो उपापन संस्था बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनिधक अविध के लिए विवर्जित कर सकेगी।

RajKaj Ref 7690052

Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation Inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

जहाँ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या संपूर्ण कार्य सम्पादन (iii) प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

राज्य सरकार या. यथा स्थिति, उपापन संस्था उपर्युक्त शर्त के अधीन किसी बोली (iv)लगाने वाले को तब तक विवर्जित नहीं करेगी जब तक की ऐसी बोली लगाने सनने का यक्तियक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

वाले को

13. भगतान:-

फर्म द्वारा किये गये कार्य के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तृत करने पर बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानसार भगतान किया जाऐगा।

संविदा पत्र में सुपूर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा (ii) जाऐगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से कार्य आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि

के भीतर कार्य पूर्ण करेगा।

परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-(iii) प्रिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अविध में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:--

विहित सुपूर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5% (क)

विहित सुपूर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक - 5% (ख) किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु - 7.5% (ग) विहित ॲविध के तीन चौथाई से अनिधक अविध के लिए

विहित सुपूर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए-10% (ঘ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा। (ंड.)

परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी । ^(च)

यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की (छ) सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तू वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या (ज)

रहित की जॉ सकेगी।

नोट: प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी।

बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित 14. करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जाऐगा । किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गुई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएंगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली 15. आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम / कार्य को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का

अधिकार आरक्षित रहेगा।

समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार 16. (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

> RajKaj Ref 7690052

Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation . Inspector General Date: 2024.06.81 4:00:40 IST Reason: Approved

बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता / उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
 मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह स्वयं

18. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।

19. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज / प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य

होने चाहिए।

20. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपूर

RajKaj Ref 7690052 Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation Linspertor General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

में / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैने / हमने जिस कार्य / सेवा के लिए बोली दी है, उनका / उनके / मैं / हम इस कार्य हेतु पंजीकृत एवं सद्भावी सेवाप्रदाता हूँ / हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट तथा बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है / करूंगा / करेंगे और मैं / हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है।

मैं / हम कारागार विभाग, एवं अन्य किसी भी राजकीय विभाग से ब्लैक लिस्टेड़ / विवर्जित नहीं है। यदि ऐसा पाया जावें तो उसके लिए संबंधित नियमों / कानून के तहत कार्यवाही के लिए सहमत है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

> बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

RajKaj Ref

Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation Inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or (a) indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a (b) financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- Not misuse any information shared between the procuring entity and the (d) bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to (e) do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- Not obstruct any investigation or audit of a procurement process; (f)
- Disclose conflict of interest, if any; and (g)
- Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other (h) country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more (i) parties in the bidding process if, including but not limited to:
- Have controlling partners/shareholders in common; or (a)
- Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or (b)
- Have the same legal representative for purposes of the bid; or (c)
- have a relationship with each other, directly or through common third parties, (d) that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation (e) by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

RajKaj Ref 7690052 Signature yalid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat Designation Inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation (f) of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the (g)

procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of bidder

RajKaj Ref 7690052

Signature valid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat

Designation inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder

In relation t	to my/our Bid submitted	i to	for procurement
of		in response to the	eir Notice inviting Bids
No	Dated	I/we	hereby
declare und	ler Section 7 of Rajasth	nan Transparency in Public I	Procurement Act, 2012
that ·			

- I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial 1. resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry:
- I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the 2. union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
- I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have 3. my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of 4. any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

RajKaj Ref 7690052 Signature valid

Digitally signed by Vikram Singh

Karnawat Designation Inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DG & IG Jail Rajasthna, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary/Additional Cheif Secretary Home Department Govt. of Rajasthan, Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financialbids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal **(2)** as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed (3)within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality+

(5) Form of Appeals:-

- An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form (a) along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, (b)

RajKaj Ref 7690052

Signature valid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat

Designation inspertor General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of

Every appeal may be presented to first appellate authority or second (c) appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorised representative.

Fee for filing Appeal:-(6)

- Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.
- The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's (b) cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

Procedure for disposal of Appeal:-(7)

- The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing
- On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second (b) appellate authority, as the case may be shall-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies theresof relating to the matter.
 - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Signature of bidder

RajKaj Ref 7690052 Signature valid

Digitally signed by Vikrum Singh Karnawat

Designation Inspertor General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

Annexure D: Additional Conditions of Contract

Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by i. multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of ii. subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall iii. prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correctionof errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

Procuring Entity's Right to Vary Quantities 2.

At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally (i) specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or (ii) procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be (iii) order. However, placing a repeat order on the rates and conditions of the original the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In 3. case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

RajKaj Ref 7690052 Signature valid
Digitally signed by Vikram Singh

Karnawat

Designation Inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved

SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT

FORM No. 1

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012				
	al Noof			
1-	Particulars of appellant:			
2-	 (i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: Name and address of the respondent(s): 			
	(i) (ii) (iii)			
3-	Number and date of the order appealed Against and name and designation of the Office/authority who passed the order (Enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:			
4-	If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:			
5-	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:			
6-	Grounds of			
appea	1 :			
7-	(Supported by an affidavit) Prayer:			
1	114901			
DI	4			
Date.	Appellant's Signature			

RajKaj Ref 7690052

Signature valid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat
Designation Inspector General Date: 2024.06.21 4:00:40 IST Reason: Approved